दैनिक भास्कर सीकर 03-11-2022

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, झुन्झुनू

क्रमांकः- 8442 दिनांकः- 02.11.2022

विज्ञप्ति संख्या-02/2022

जिले की अधीनस्थ परियोजनाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु सम्बन्धित परियोजना कार्यालयों में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है-

रिक्त पदों हेतु पदवार आंगनवाड़ी केन्द्रों के नाम :-

परियोजना	ई-मेल	रिक्त पद का विवरण
(1) झुन्झुनू	cdpojhunjhunu@gmail.com	कार्यकर्ता- झुन्झुनू वार्ड न. 36 (अल्पसंख्यक), प्रतापपुरा, रेसुवा, उदयारा-1, बुजावास, ग्यावीसुरा सहायिका - धोमसर-1, मारिगसर, चहिंदपुरा-3, कठाडू
(2) सूरजगढ	surajgarhcdpo@gmail.com	कार्यकर्ता- कासी सहायिका - रघुरामपुरा, चौहानें की ढाणी, पिलानी वार्ड न. 5
(3) बुहाना	cdpo.buhana@gmail.com	सहायिका- सांवरोद-1
(4) उदयपुरवाटी	cdpo.udp@gmail.com	सहायिका- गहला कला-1, बागोली-3, बोटा-1, टोडी-3
(5) नवलगढ	cdpo.nwh@gmail.com	कार्यकर्ता - मेकेपुरा- 084, सहायिका - गुरवाँयों की ढाणी -175, जखल-165, नवलगढ वार्ड न. 9 (अनु. जाति)
(6) खेतड़ी	khetricdpo@gmail.com	कार्यकर्ता- रातोता सहायिका- भडाड़-5, मोडी (1)
(7) अलसीसर	cdpoalsisar7@gmail.com	सहायिका - कोलिण्डा-2 (अल्पसंख्यक), पीपल का बास

1. ग्रामीण क्षेत्र में महिला जिस आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए चयन हो रहा है उसके राजस्व ग्राम की तथा शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र के वार्ड की स्थानीय निवासी होनी चाहिए। विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला को ससुराल व मायके दोनो स्थान के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जा सकेगा।
2. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बारहवीं उत्तीर्ण तथा सहायिका के पद पर चयन हेतु न्यूनतम योग्यता दसवीं उत्तीर्ण है। आवेदक का विज्ञप्ति होना अनिवार्य है।
3. विज्ञप्ति जारी होने की तिथि तक आवेदक की आयु 21-40 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता एवं विशेष योग्यजन के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी।
4. आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होने एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने सम्बन्धी घोषणा आवेदन पत्र में किया जाना आवश्यक है।
5. विधवा हेतु प्रमाण-पत्र के रूप मे पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र तथा आवेदन मे पुनर्विवाह नहीं करने की घोषणा का अंकन आवश्यक होगा।
6. तलाकशुदा एवं परित्यक्ता की स्थिति मे सक्षम स्तर (न्यायालय/उपखण्ड अधिकारी) से जारी डिक्री/आदेश की प्रति तथा आवेदन मे पुनर्विवाह नहीं करने की घोषणा का अंकन आवश्यक होगा।
7. विभिन्न पदों के लिए चयन हेतु विभागीय परिपत्र क्रमांक 108508 दिनांक 19.08.2021 व परिपत्र क्रमांकः 48815-49615 दिनांक 30.03.2022 तथा पत्रांकः 49616-49953 दिनांक 30.03.2022 के अनुसार मूल्यांकन का एक मानदण्ड निर्धारित है जिसे सम्बन्धित परियोजना कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाईट पर देखा जा सकता है। संलग्न दस्तावेजो के आधार पर विभागीय परिपत्र अनुसार अंक निर्धारित कर वरीयता सूची से चयन किया जायेगा।
8. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 45955 दिनांक 08.08.2019 के अनुसार पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमीलेयर के प्रमाण पत्र संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ-पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी। विज्ञप्ति जारी होने की तिथी से 3 वर्ष से अधिक पुराना प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
9. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 28046 दिनांक 06.05.2022 के अनुसार आर्थिक कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ-पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी। विज्ञप्ति जारी होने की तिथी से 3 वर्ष से अधिक पुराना प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
10. राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जायेगा।
11. आवेदन पत्र के साथ (1) अधिकतम शैक्षणिक योग्यता सम्बंधी अंकतालिका/प्रमाण पत्र (2) सेकण्डरी की अंकतालिका/प्रमाण पत्र (3) बीएड/एमटीटी/डीबीएस्ई/बीएसटीसी/डीएलएड डिप्लोमा (यदि लागू हो तो) (4) महादाता पहचान पत्र/राशनकार्ड/आधार/ जनआधार कार्ड (5) अनुसूचित जाति/जन जाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/अल्प संख्यक वर्ग/दिव्यांग जन होने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (6) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/शिशु पालनगृह कार्यकर्ता/सहायिका/आया सहायिनी/साथिन के रूप में 01 वर्ष का कार्यानुभव प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (7) बीपीएल कार्ड (केन्द्र सूचीनुसार),खाद्य सुरक्षा/अन्योदय/भारत सरकार के अधिक सामाजिक सर्वेक्षण मे पात्र (यदि लागू हो तो) (8) हाइमाथ/जीएनएम/आयुर्वेद नर्सिंग/RSCIT/PGDCA/O-level/Tally के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (9) किसान/ परित्यक्ता/तलाकशुदा का प्रमाण पत्र/ज्योति योजना लाभार्थी होने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) इत्यादि दस्तेवेजों की सत्यमापित प्रति अनिवार्यतः संलग्न किये जावे।
12. जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों के कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत या अधिक अनुसूचित जाति/जन जाति/अल्प संख्यक वर्ग का है तो उन केन्द्रो के चयन हेतु उसी वर्ग की महिला का चयन अनिवार्यतः किया जायेगा। कवरेज क्षेत्र में जनसंख्या की गणना मुख्यतया आंगनबाड़ी सर्वे रजिस्टर के आधार पर ही की जायेगी।
13. आवेदन फार्म संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं। योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र मय दस्तावेज दो प्रतियो में सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में व्यक्तिशः/रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा सम्बन्धित परियोजना कार्यालय की ई-मेल पर दिनांक 05.12.2022 को सांय 05.00 बजे तक जमा करा सकेंगे।
14. प्राप्त आवेदनों की जांच कर अनतिम वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में दिनांक 21.12.2022 को किया जायेगा। किसी भी आवेदक को आपत्ति होने पर दिनांक 28.12.2022 तक अपनी आपत्ति संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी को दर्ज करायी जा सकेगी। आवेदन में किसी प्रकार की अपूर्णता होने पर उसे भी दिनांक 28.12.2022 तक कार्यालय में उपस्थित होकर पूर्ण किया जा सकेगा।
15. इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपनिदेशक कार्यालय/सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय तथा विभागीय वेबसाईट wcd.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध कार्यकर्ता/मिनी कार्यकर्ता/सहायिका हेतु विभागीय परिपत्र क्रमांक 108508 दिनांक 19.08.2021 व परिपत्र क्रमांकः 48815-49615 दिनांक 30.03.2022 तथा पत्रांकः 49616-49953 दिनांक 30.03.2022 से प्राप्त की जा सकती है।
16. सभी आवेदक आवेदन पत्र की प्रति रसीद अवश्य प्राप्त करें।

(बिजेन्द्र सिंह राठौड़)

उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग झुन्झुनू (राज0)